भारत सरकार / Government of India
रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence
कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद–09
Office of the Controller of Defence Accounts
No.1 Staff Road, Secunderabad - 500 009
दूरभाष/Tele: 040-27843385, फैक्स/Fax: 040-27817275

सं./No. प्रशा/III/विविध/AN/III/Misc/2023-24 दिनांक/Dated: 31.07.2023

परिपत्र / CIRCULAR

(वेबसाइट के माध्यम से / Through Website)

सेवा में, /To,

1. प्रभारी संयुक्त नियंत्रक, वे.ले.का.(अ.श्रे), ई.एम.ई., सिकंदराबाद
   The Jt. CDA I/c, PAO (ORs) EME, Secunderabad
2. प्रभारी उप-नियंत्रक, वे.ले.का. (अ.श्रे) सेना आयुध कोर, सिकंदराबाद
   The Jt. CDA I/c, PAO (ORs) AOC, Secunderabad
3. प्रभारी उप-नियंत्रक, क्षे.ले.का. (थलसेना), विशाखापट्टणम्
   The DCDA I/c, AAO (Army) Visakhapatnam
4. सभी उप-कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)
   All Sub Offices (as per standard list)
5. मुख्य कार्यालय के सभी व.ले.अ./ले.अ. तथा सभी अनुभाग (स्थानीय)
   All SAOs / AOs & All sections of Main office (Local)

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 (2021 और 2022 में यथा संशोधित) संशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन - के संबंध में ।

Subject: Strict compliance of the provisions of Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022] and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971–reg.

***

कृपया मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 28.07.2022 के एफ. सं. AN-III/3012/Circular/ Vol/11 और भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई 2023 के पत्र का अवलोकन करें। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कड़ाई से अनुपालन के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 की मुख्य विशेषताएं इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं।

Please refer to Headquarters Office vide F. No. AN-III/3012/Circular/Vol/11 dated 28.07.2022 and Govt. of India, Ministry of Home Affairs letter dated 18 July 2023. Salient features of Flag Code of India, 2002 are enclosed with this circular for strict compliance of all the officers and staff please.

(के. रामकृष्णा)
लेखा अधिकारी (प्रशा-III)

प्रतिलिपि/Copy to:

लेखा अधिकारी/The AO
आई.टी. अनुभाग/IT Section (स्थानीय) / (Local) - र.ले.नि., सिकंदराबाद की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए। For uploading in CDA Secunderabad Website please.

Sd/-
(के. रामकृष्णा)
लेखा अधिकारी (प्रशा-III)

G:\OFFICE FILES\Sal & OE budget 2023-24\circular m 23-24.doc

"हर काम देश के नाम"

रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

Phone: 011-25665703 Fax: 011-25674806, 25674821 email: aniii.cgda@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F. No. प्रशा.-III/3012/ परिपत्र/जिल्द/11 दिनांक 28.07.2023

सेवा में,

समस्त र.ले.प्र.नि., प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्टरी), प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार

र.ले.नि., एकीकृत वित्तीय सलाहकार, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

(ईमेल द्वारा)

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध में|

अधोहस्ताक्षरी को, पब्लिक अनुभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या 15/1/2023-पब्लिक दिनांक 18 जुलाई 2023 की प्रति एवं भारतीय झंडा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा निर्देशों को, आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है |

2. तदनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि उसमें निहित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (प्रशा.) के अनुमोदन से जारी।

पंकज

(पंकज कुमार)

लेखा अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1 प्रशासन-4, स्थानीय. सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु|

(पंकज कुमार)

लेखा अधिकारी (प्रशासन)

तत्काल

संख्या 15/1/2023-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)
* * *

5

नॉर्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली -1
दिनांक 18जुलाई, 2023

सेवा में ,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरवअपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

भवदीय,

पाण्डेय प्रदीप कुमार
18/7/2023

संलग्नक -यथोपरि

(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101

....2-

(6)

प्रति प्रेषित -:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

पाण्डेय प्रदीप कुमार
13/7/2023

(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101

7

भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगो की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर ओर निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-

   (क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपडे से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए या **मशीन द्वारा निर्मित**, सूती/**पॉलिएस्टर**/ऊनी/सिल्क/खादी के कपडे से बनाया गया हो।

   (ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओ या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाये।

   (ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-

      (xi) **"जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;"**

   (घ) राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई ओर ऊंचाई (चौडाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।

   (ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

   (च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।

   (छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडो के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।

-1/2

(8)

(ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।

(झ) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नही लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

IMMEDIATE

File No. 15/1/2023-Public
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
***

North Block, New Delhi – 01.
Dated: 18 July, 2023

To

The Chief Secretaries/ Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Subject: **Strict compliance of the provisions of Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022] and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971-reg.**

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Indian National Flag represents hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed amongst people as well as organizations/agencies of the Government, in regard to laws, practices and conventions that apply to display of the National Flag. Copy of 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' and 'Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022]' which governs the use/hoisting/display of National Flag, are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. Salient features of the Flag Code of India, 2002 are enclosed.

2. As per clause (x) of Paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India, the National Flag made of paper may be waved by public on occasions of important national, cultural and sports events. You are requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, Flags used by the public, made of paper are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of, in private, consistent with the dignity of the Flag.

3. You are also requested to undertake mass awareness programme in this regard and also to give it wide publicity through advertisements in the electronic and print media.

Yours faithfully,

Encl: As above.

18/7/2023

(Pandey Pradeep Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 2309 3101

....2-

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

12/7/2023

(Pandey Pradeep Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 2309 3101

Salient Features of Flag Code of India, 2002

1. The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride and there is universal affection and respect for, and loyalty to, the National Flag. It occupies a unique and special place in the emotions and psyche of the people of India.

2. The hoisting/use/display of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002. Some of salient features of the Flag Code of India, 2002 are listed below for the information of the public:-

   a) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 30st December, 2021 and National Flag made of polyester or machine made Flag have been allowed. Now, the National Flag shall be made of hand spun and hand woven or **machine made,** cotton/**polyester**/wool/silk/khadi bunting.

   b) A member of public, a private organization or an educational institution may hoist/display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise, consistent with the dignity and honour of the National Flag.

   c) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 20th July, 2022 and clause (xi) of paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India was replaced by the following clause:-

      (xi) **"where the Flag is displayed in open or displayed on the house of a member of public, it may be flown day and night;"**

   d) The National Flag shall be rectangular in shape. The Flag can be of any size but the ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3:2.

   e) Whenever the National Flag is displayed, it should occupy the position of honour and should be distinctly placed.

   f) A damaged or dishevelled Flag shall not be displayed.

-1/2

g) The Flag should not be flown from a single masthead simultaneously with any other flag or flags.

h) The Flag should not be flown on any vehicle except of the dignitaries mentioned in Section IX of Part III of the Flag Code, such as President, Vice-President, Prime-Minister, Governors etc.

i) No other flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag.

Note:- For further details, the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002 are available on Ministry of Home Affairs' website www.mha.gov.in.